समयबद्ध

संख्या–2184 / 8–3–2006–55विविध / 2002

प्रेषक,

सुरजीत कौर सन्धु
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2006**

विषय : परिक्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 में नगरों की महायोजना तैयार करने के साथ–साथ परिक्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करने की व्यवस्था है। परिक्षेत्रीय विकास योजनाएं न तैयार किए जाने के कारण नियोजन सम्बंधी अनेंक समस्यायें उत्पन्न होने की संभावना होती है। परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने का दायित्व भी विकास प्राधिकरणों का है। इस सम्बंध में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–9(1) का सुसंगत प्राविधान निम्नलिखित है :–

> ''प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ–साथ तत्पश्चात यथाशक्य शीघ्र उन परिक्षेत्रों में से जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किए जा सकते हैं, प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए एक परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए अग्रसर होगा।''

2– इस सम्बंध में शासनादेश संख्या–2184 / 8–3–05–55विविध / 2002 दिनांक 25.5.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा 31.3.2006 तक परिक्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। अधिकांश प्राधिकरणों द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। परिक्षेत्रीय योजनाएं तैयार न करने के कारण नगरों के सुनियोजित विकास की अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः अपेक्षा की जाती है कि परिक्षेत्रीय योजनाएं आगामी 06 माह में तैयार कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरजीत कौर सन्धू

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त, सम्बंधित विकास प्राधिकरण।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव